राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या – 46/2013/उदयपुर.

मैसर्स गट्टानी रिसॉर्ट्स प्रा0 लिमिटेड,

सुभाष नगर, उदयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी', उदयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता, अभिभाषक .....व्यवहारी की ओर से.

श्री आर.के.अजमेरा,

उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29.5.2015

निर्णय

यह विविध प्रार्थना पत्र व्यवहारी की ओर से राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपील संख्या 728/ 2011/उदयपुर अपीलार्थी व्यवहारी मैसर्स गट्टानी रिसॉर्ट्स प्रा0 लि0 उदयपुर द्वारा तथा अपील संख्या 1047/2011/उदयपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–'बी', उदयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2013 के सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संचालित रिसॉर्ट/होटल का वर्ष 2003–04 का लग्जरी टैक्स अधिनियम के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.3.2006 को पारित किया जाकर व्यवहारी द्वारा कमरों से प्राप्त आय एवं लॉन से प्राप्त आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर/सरचार्ज, विलम्ब के लिये कर एवं शास्ति सहित कुल रूपये 8,40,333/– का आरोपण किया गया। व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 20.9.2006 से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः आदेश पारित करें। उक्त आदेश की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु जारी किये गये नोटिसों की पालना में व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए विवादित आदेश दिनांक 8.9.2008 पारित करते हुए कमरों/लॉन से प्राप्त आय पर कर, लॉन से प्राप्त राशि पर देय कर के बराबर

शास्ति, त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के लिये शास्ति एवं देय कर विलम्ब से जमा कराने के लिये ब्याज सहित कुल रूपये 9,89,383/– का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2011 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए लॉन से प्राप्त राशि पर आरोपित कर एवं इस सीमा तक आरोपित शास्ति/ब्याज को अपास्त करते हुए शेष आदेश की पुष्टि की गई। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी एवं विभाग की ओर से कर बोर्ड में अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर, कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा अपीलीय अधिकारी कें आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी एवं विभाग दोनों की अपीलें अस्वीकार की गई। कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 11.11.2013 से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपील संख्या 728/2011/उदयपुर के सम्बन्ध में विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

विधिक प्रार्थना पत्र का समर्थन करते हुए विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कथन किया गया कि आलौच्य अवधि में व्यवहारी की कमरों से प्राप्त आय 29,04,035/– थी, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के कमरों से प्राप्त आय रूपये 33,85,770/– मानकर करारोपण किया गया है। उनका कथन है कि किराये से आय रू. 18,96,167/– है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने भी इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि "Petition reopening of the ex part order of assessment wrongly rejected on part of the Deputy Comm. (Admis.)Udaipur no n application of the provisions of the RVAT Act for order under the Raj. Tax on Luxuries (in Hotel & Lodging Houses)Act 1998 and mistake apparent from law is committed. उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से माना गया है कि अपीलार्थी व्यवहारी नोटिस के जवाब में कोई जवाब नहीं देना चाहता है,जो सही नही है। उन्होंने बताया कि अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री दिनेश मून्दडा द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से दूरभाष पर निवेदन किया गया था कि वह शहर से बाहर (out of station)बडौदा में है इसलिए तीन से चार दिन की तारीख पेशी बढाने की कृपा करें किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने उनके निवेदन को अस्वीकार कर एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किया गया,जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर विधिक प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड की माननीय एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.11.2013 समर्थन करते हुए कथन किया कि अपील सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई उभय पक्षों की बहस पर गहन विचार करने के पश्चात निर्णय दिनांक 11.11.2013 पारित किया गया है, इसलिए इस विविध प्रार्थना पत्र से माध्यम से एकलपीठ के द्वारा पारित निर्णय को बदलाव

किया जाना उचित नहीं है,क्योंकि दी राजस्थान टैक्सेशन ऑन लग्जरीज (इन होटल एण्ड लोजिंग हाऊसेस) एक्त 1990 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर नियम,1955 के अन्तर्गत विविध प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही है। उनका कथन है कि अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल के सर्वेक्षण एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत विवरण पत्रों के आधार पर व्यवहारी की आय पर करारोपण किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की गयी है। लॉन से प्राप्त आय पर किये गये करारोपण के सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक व्यवहारी के कथन से सहमति प्रकट करते हुए इस सीमा तक अपीलीय आदेश को विधिसम्मत बताया था। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में उन्होंने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार बदलाव किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने विधिक प्रार्थना पत्र के मेन्टेनेबल के प्रश्न पर आपत्ति उठाई है,जिसके निर्णय हेतु राजस्थान विक्रय कर नियम,1995 के नियम 9 को उद्धृत किया जाना समीचीन होगा,जो निम्न प्रकार है :–

"9-Applicability of the provisions of the Rajasthan Sales Tax Rules,1955- Subject to the provisions of the Act and these rules, the provisons of the Rajasthan Sales Tax Rules,1955 shall mutandis apply to the matters which may rise and to all the issue which may crop up while administgering the Act."

इसके अतिरिक्त विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की ओर से उद्धृत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मक्कड प्लास्टिक एजेन्सी (टैक्स अप डेट 29 पेज 253) को उद्धृत करते हुए कथन किया कि चेतन मस्तिष्क से पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार बदलाव किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विधिक स्थिति एवं न्यायिक निर्णय के प्रकाश में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया विविधि प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य